

34. अनुचित साधन विषय अधिनियम एवं निर्देश परिशिष्ट (अ)

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2008

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिये और उससे संबंधित आनुशांगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु अधिनियम :-

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
 - (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2008 कहा जायेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
 - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं
 - (क) "परीक्षा केन्द्र" से अभिप्रेत है, किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिये निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान और इसके अंतर्गत उससे संबद्ध समस्त परिसर।
 - (ख) "परीक्षार्थी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो।
 - (ग) "सार्वजनिक परीक्षा" से अभिप्रेत है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा जो उसमें विधिपूर्वक सफल घोषित व्यक्ति की कोई उपाधि, जो डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिये संचालित की जाये।
 - (घ) किसी परीक्षार्थी के संबंध में जबकि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, "अनुचित साधनों" से अभिप्रेत है, अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित अंकित (रिकार्डर्ड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन या वायरलेस या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य यंत्र या जुगत का अप्राधिकृत प्रयोग।
3. अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध
कोई परीक्षार्थी किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रश्नपत्र की प्राधिकृत प्राप्ति प्रकटीकरण
कोई व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्य पालन के संबंध में ऐसा करने के लिये प्राधिकार अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्रों के वितरण के लिये निर्धारित समय से पूर्व :-

- (क) न तो ऐसे प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग को या उसके किसी प्रतिलिपी को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा।
- (ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित या व्युत्पन्न या संदर्भित है।
5. ऐसे व्यक्ति द्वारा परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध
कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थिति के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में ऐसा कार्य करने की अनुज्ञा दी गई हो, ऐसी सूचना या उनके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गये कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा न प्रकट करायेंगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।
6. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध
कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहां बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षा का अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।
7. प्रबंध तंत्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति जो ऐसी संस्था के जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन में उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबंधतंत्र में होते हुए या कर्मचारियों में होते हुये या जिसे सार्वजनिक परीक्षा में संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा।
8. सार्वजनिक परीक्षा के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जावेगा।
कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के, प्रयोजन के लिये परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने देगा।
9. अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए शास्ति
जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है दंडित किया जायेगा।
10. जानकारी देने के लिये शास्ति
जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक हो सकते हैं या दोनों से दंडित किया जायेगा।

11. उपहित आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति
- जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहित या उस पर हमला या उसका संदोष अवरोध कारित करने की या मृत्यु की या उपहित की या हमले का संदोष अवरोध का भयकारित करने की तैयारी करके धारा 9 या 10 के अधीन दंडनीय अपराध करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों से दंडित किया जायेगा।
12. प्रक्रिया
1. धारा 9 के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और जमानती होगा।
2. धारा 10 या 11 के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।
3. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध का किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।
13. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
- राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
14. अनुसूची संशोधन करने की शक्ति
- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझती है अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।
15. नियम बनाने की शक्ति
1. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
2. इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।